

सुनवाई से पहले बेरोजगारी बीमा प्रशासनिक कानून न्यायाधीश

यह जानकारी न्यूयॉर्क राज्य श्रम विभाग द्वारा बेरोजगारी बीमा प्रशासनिक कानून न्यायाधीश अनुभाग में बेरोजगारी बीमा प्रशासनिक कानून न्यायाधीश के समक्ष आपकी आगामी सुनवाई के बारे में बुनियादी सवालों के जवाब देने के लिए प्रदान की गई है।

अधिक जानकारी के लिए, 'आपके बेरोजगारी बीमा लाभ हेडिंग के बारे में प्रश्न और उत्तर' पुस्तिका (फॉर्म TC 424.2) पढ़ें, जो आपको श्रम विभाग से मेल द्वारा प्राप्त हो गई होगी। यह

<http://www.labor.ny.gov/formsdocs/ui/formsandpublications.shtm> पर भी उपलब्ध है।

अपने अधिकारों की रक्षा के लिए जब तक आप बेरोजगार हैं, आपको लाभ के लिए प्रमाणीकरण जारी रखना चाहिए तथा निर्देशानुसार व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना चाहिए। आपके मामले से संबंधित किसी भी पत्राचार में प्रशासनिक विधि न्यायाधीश का केस नंबर और आपका सामाजिक सुरक्षा नंबर दोनों शामिल होना चाहिए।

प्रशासनिक विधि न्यायाधीश कौन है?

प्रशासनिक विधि न्यायाधीश एक निष्पक्ष निर्णयकर्ता होता है जिसका निर्णय श्रम विभाग से स्वतंत्र होता है। प्रशासनिक विधि न्यायाधीश आपकी सुनवाई करेंगे, आपके मामले के सभी तथ्यों की सावधानीपूर्वक समीक्षा करेंगे, और फिर निर्णय लेंगे कि क्या आप (दावेदार) बेरोजगारी बीमा लाभ के हकदार हैं।

मैं सुनवाई के लिए तैयारी कैसे कर सकता हूँ?

आपको सुनवाई में अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए वकील या अन्य प्रतिनिधि रखने का अधिकार है। दावेदार का प्रतिनिधित्व करने वाला वकील शुल्क ले सकता है, जो कानून द्वारा सीमित है। दावेदार का प्रतिनिधित्व करने वाला कोई गैर-वकील तब तक कोई शुल्क नहीं ले सकता जब तक कि वह गैर-वकील अपील बोर्ड के साथ पंजीकृत एजेंट न हो। दावेदार के प्रतिनिधियों को शुल्क का भुगतान तभी किया जाएगा जब दावेदार को सुनवाई के परिणामस्वरूप लाभ प्राप्त हो और अपील बोर्ड शुल्क को मंजूरी दे दे। यदि आप वकील रखने में असमर्थ हैं, तो आप अपने स्थानीय कानूनी सहायता सोसायटी या कानूनी सेवा कार्यक्रम के माध्यम से निःशुल्क प्रतिनिधित्व प्राप्त कर सकते हैं। वकीलों, पंजीकृत प्रतिनिधियों, कानूनी सेवा कार्यक्रमों और निःशुल्क वकीलों के संगठनों सहित कानूनी संसाधनों की सूची के लिए बेरोजगारी बीमा अपील बोर्ड की वेब साइट www.uiappeals.ny.gov पर जाएं। "सहायक जानकारी" टैब और फिर "मार्गदर्शिकाएँ और संसाधन" चुनें। "अटॉर्नी और अधिकृत एजेंटों की सूची" चुनें। आप (518) 402-0205 पर कॉल करके भी इस सूची का अनुरोध कर सकते हैं। सुनवाई से पहले आपको अपनी सम्पूर्ण केस फाइल की समीक्षा करने का अधिकार है।

यदि आपके कोई प्रश्न हों, तो बेरोजगारी बीमा प्रशासनिक कानून न्यायाधीश अनुभाग से संपर्क करें (877) 880-3322 या श्रम विभाग के टेलीफोन दावा केंद्र पर (888) 209-8124 पर संपर्क करें।

प्रशासनिक विधि न्यायाधीश सुनवाई किस प्रकार संचालित करेंगे?

सुनवाई के दौरान, प्रशासनिक विधि न्यायाधीश:

- उपस्थित सभी पक्षों की पहचान करें और शामिल मुद्दों को संक्षेप में रेखांकित करें;
- सभी पक्षों से शपथ या प्रतिज्ञान के तहत गवाही लें;
- आवश्यक तथ्य प्राप्त करने के लिए पक्षों एवं गवाहों से प्रश्न करना;
- गवाहों से प्रश्न पूछने में पक्षों की सहायता करना;
- नियम जिसके अनुसार दस्तावेजों या गवाही को साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया जा सकेगा;

- f. प्रासंगिक अभिलेखों के लिए तथा गवाही देने के लिए उपस्थित होने वाले व्यक्तियों के लिए सम्मन जारी करना; तथा
- g. पक्षकारों को अपना मामला प्रस्तुत करने में केस फाइल से दस्तावेजों का उपयोग करने की अनुमति दें।

सुनवाई में मेरे अधिकार क्या हैं?

सुनवाई के दौरान, आपको निम्नलिखित का अधिकार है:

- a. अपनी ओर से गवाही दें;
- b. अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए एक वकील या अन्य व्यक्ति को साथ लाएँ;
- c. अपने पक्ष में गवाहों की गवाही लीजिए;
- d. दस्तावेज़, रिकॉर्ड और अन्य साक्ष्य प्रस्तुत करना;
- e. प्रशासनिक विधि न्यायाधीश से अनुरोध करें कि वे आपके पक्ष में प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेजों और गवाही देने के लिए गवाहों को सम्मन जारी करें;
- f. विरोधी पक्षों और प्रतिकूल गवाहों से प्रश्न पूछें (या "जिरह करें")
- g. यदि आपको प्रश्न पूछने में परेशानी हो रही है तो प्रशासनिक विधि न्यायाधीश से सहायता मांगें;
- h. किसी ऐसे प्रश्न का उत्तर देने से इंकार करें जो आपको समझ में न आए;
- i. आपके विरुद्ध किसी भी साक्ष्य का स्पष्टीकरण या खंडन करना;
- j. किसी अच्छे कारण के लिए बाद की तारीख में देरी (या "स्थगन") का अनुरोध करें; और
- k. सुनवाई के अंत में एक बयान देकर बताएं कि आप बेरोजगारी बीमा लाभ के हकदार क्यों हैं या उन बिंदुओं को स्पष्ट करें जो सुनवाई के दौरान उठाए नहीं गए या स्पष्ट नहीं किए गए।

सुनवाई के बाद क्या होता है?

सुनवाई के बाद, प्रशासनिक विधि न्यायाधीश 'निर्णय और निर्णय की सूचना' जारी करेंगे, जिसमें आपको सूचित किया जाएगा कि क्या आप बेरोजगारी बीमा लाभ के हकदार हैं। सुनवाई के बाद यह यथाशीघ्र आपको भेज दिया जाएगा।

'निर्णय और निर्णय की सूचना' में, प्रशासनिक विधि न्यायाधीश साक्ष्य से प्राप्त तथ्यों, निष्कर्षों के कारणों और स्वयं निर्णय को प्रस्तुत करेगा।

'निर्णय और निर्णय की सूचना' में यह भी बताया जाएगा कि यदि आप प्रशासनिक विधि न्यायाधीश के निर्णय से असहमत हैं तो अपील बोर्ड में अपील कैसे दायर करें।

यदि आप प्रशासनिक विधि न्यायाधीश के निर्णय को समझ नहीं पा रहे हैं, तो आप श्रम विभाग के टेलीफोन दावा केंद्र पर कॉल कर सकते हैं और स्पष्टीकरण मांग सकते हैं।

यदि प्रशासनिक विधि न्यायाधीश या अपील बोर्ड यह निर्धारित करता है कि आपको अधिक भुगतान किया गया है, तो आपको लाभ वापस करना पड़ सकता है।